बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0-2, पटना-800001

कार्यालय आदेश

निगम के पत्रांक-362 दिनांक-12.01.2018 द्वारा विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु सूचना प्रकाशित किया गया था। प्राप्त आवेदनों की वरीयता सूची तैयार की गयी है। जिसके आलोक में 13 प्रशाखा पदाधिकारी चयन कर विभिन्न शाखाओं में पदस्थापित किया गया।

निगम मुख्यालय, पटना में पदस्थापित श्री निर्मल कुमार वर्मा प्रशाखा पदाधिकारी (संविदा) एवं श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी (संविदा) की संविदा विभिन्न कारणों से समाप्त की गयी है। संविदा नियोजन समाप्ति के पश्चात् रिक्त हुए दो प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर निम्नलिखित सेवानिवृत प्रशाखा पदाधिकारी को वरीयता सूची से चयन कर औपबंधिक रूप से संविदा पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-07 में अंकित पद पर अगले 11 माह के लिए नियुक्त किया जाता है। दोनों संबंधित अभ्यर्थियों को निदेश है कि अपना पी0पी0ओ0/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/शपथपत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ दिनांक- 07.01.2019 तक योगदान करना सुनिश्चित करेगें। पूर्व में प्रस्तुत कागजातों में भिन्नता/त्रुटि पाये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

क्र0 सं0	चयनित अभ्यर्थी का नाम	सेवानिवृति का पद	सेवानिवृति का कार्यालय	लिंग	कोटि	पदनाम जिसके विरूद्ध चयन	शाखा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री गौरी शंकर लाल दास	प्रशाखा पदा0	भवन निर्माण विभाग	पुरूष	सामान्य	प्रशाखा पदा0	
2.	श्री धीरेन्द्र प्रसाद	प्रशाखा पदा0	बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार	पुरूष	पि0 वर्ग	प्रशाखा पदा0	

शर्तेः-

1. अभ्यर्थियों की तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
2. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक-07.01.2019 के पूर्वाह्न तक निगम मुख्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। इसके लिए किसी प्राकर का भत्ता देय नहीं होगा।
3. सभी अभ्यर्थी द्वारा निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार एकरारनामा किया जायेगा।
4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
5. उल्लेखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में ग्यारह माह के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कोइ्र बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
6. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
7. इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

Rakesh-310

8. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगी।
9. इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह0/–

उप महाप्रबंधक प्रशासन।

ज्ञापांकः–03:02:77:01:18:– दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/–

उप महाप्रबंधक प्रशासन।

ज्ञापांकः–03:02:77:01:18:– 05 दिनांकः– 01/1/19

प्रतिलिपिः–मुख्य महाप्रबंधक अधिप्राप्ति/जन वितरण/मुख्य सतर्कता पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/प्रबंधक निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय, पटना एवं सभी जिला प्रबंधक, बिहार, राज्य खाद्य निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.12.18

उप महाप्रबंधक प्रशासन।

Rakesh-311